

पंचायत आम निर्वाचन- 2021
अति महत्वपूर्ण



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या-प0नि0 30-160/2021 3437

प्रेषक,

सचिव।

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला

निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

सारण।

पटना, दिनांक- 29.08.21

विषय :- पंचायत आम निर्वाचन, 2021 संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्रों पर आयोग का अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-981, दिनांक- 23.08.2021 तथा पत्रांक-1016, दिनांक-28.08.2021
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्रों के गठन के प्रस्ताव की जाँच के पश्चात् बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-26 के अन्तर्गत स्तंभ-5 में अंकित मतदान केन्द्रों की संख्या पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन संसूचित किया जाता है।

क्र० सं०	प्रखंड का नाम	संशोधित मतदान केन्द्रों की संख्या	सहायक मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	बनियापुर	2	0	2	
2	अमनौर	0	4	4	
3	छपरा सदर	1	1	2	
	कुल	3	5	8	

2. मतदान केन्द्रों की सूची बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-27 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नियम-8 के उप नियम (1) में विहित रीति से प्रकाशित की जाए तथा उसकी सूचना आयोग को दी जाए।

विश्वासभाजन

ज्ञापक- 3437/-

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची को आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करे।

पटना, दिनांक- 29.08.21/-

ज्ञापक- 3437/-

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक- 29.08.21/-

ज्ञापक- 3437/-

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक- 29.08.21/-

प्रपत्र-2

[नियम 2 (भ) के अधीन]

आयोग के अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची

जिला का नाम-सारण		प्रखंड-सदर छपरा									ग्राम पंचायत-साढ़ा	
पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र की सं०	पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन का कारण/औचित्य	मतदान केन्द्र का विस्तार (प्रॉविडेंशियल-सं०-.....)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की सं० (क०-.....तक) से.....तक)	भवन सरकारी/अर्द्ध सरकारी है अथवा नहीं	भवन में कुल कमरों की संख्या	मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिये मतदाता द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी	प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्भय होकर मतदान कर सकते हैं अथवा नहीं	अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
53	सामुदायिक भवन साढ़ा खेमजाजी टोला दक्षिण भाग	पूर्व के सामुदायिक भवन साढ़ा खेमजाजी टोला के स्थल पर च०म०म०, खेसरा सं० 1826, 1827 दक्षिण के तरफ	सामुदायिक भवन जर्जर होने के कारण	09 साढ़ा खेमजाजी टोला 342	01 से 812 तक	हैं	0	50 मीटर	हैं	हैं	सामुदायिक भवन जर्जर होने के कारण	
53 क	सामुदायिक भवन साढ़ा खेमजाजी टोला उत्तर भाग	पूर्व के सामुदायिक भवन साढ़ा खेमजाजी टोला के स्थल पर च०म०म०, खेसरा सं० 1826, 1827 उत्तर के तरफ	सामुदायिक भवन जर्जर होने के कारण	09 साढ़ा खेमजाजी टोला 342	813 से 1624 तक	हैं	0	50 मीटर	हैं	हैं	सामुदायिक भवन जर्जर होने के कारण	

प्रमाणित किया जाता है कि मतदान केंद्रों का चयन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में किया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि मतदान केन्द्रों का चयन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में किया गया है। सभी मतदान केन्द्र पंचायत क्षेत्र में अवस्थित हैं तथा कोई मतदान केन्द्र निजी अथवा धार्मिक स्थल पर स्थापित नहीं किया गया है। वलित मतदान केन्द्र की स्थापना उक्त क्षेत्र में सरकारी/अर्द्धसरकारी भवन उपलब्ध नहीं रहने पर ही की गई है।

जिला पदाधिकारी

-सह-

जिला निर्वाचन प्रशासक (आर)

16/11/24
19/11/24
19/11/24

प्रपत्र-2

[नियम 2 (भ) के अधीन]

आयोग के अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची

प्रखंड का नाम- बनियापुर

पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र की सं०	पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन का कारण/औचित्य	मतदान केन्द्र का विस्तार (प्रा0नि0शे0सं0.....)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की सं० (क०.....तक)	भवन सरकारी/अ सरकारी है अथवा नहीं	भवन में कुल कमरों की संख्या	मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिये मतदाता द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी	प्रवेश एवं निकास की अलग-अलग व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्भय होकर मतदान कर सकते हैं अथवा नहीं	अन्यवित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ग्राम पंचायत-सरैया											
60	मध्य वि० सरैया प० नागा	नव०प्रा०वि० सरैया मकतब	बगल के वार्ड में सरकारी विद्यालय बन जाने के कारण	वार्ड नं०-02 सरैया	01-513	सरकारी	5	200 मीटर	हाँ	हाँ	-
ग्राम पंचायत-हरपुर											
203	कन्या प्रा०वि० हरपुर, उत्तर भाग	वार्ड सं०-02 में अवस्थित सामुदायिक भवन	सम्बंधित वार्ड में सरकारी भवन बन जाने के कारण	वार्ड नं०-02	क्रम सं०-01 से 538	सरकारी	1	200 मीटर	हाँ	हाँ	पंचायत हरपुर वार्ड सं०-02 में वर्तमान में सामुदायिक भवन बन जाने के कारण

प्रखंड का नाम- अमनौर

53 क	एच०आर०कॉलेज अमनौर हरनारायण कमरा नं० 1 पूरव भाग	एच०आर०कॉलेज अमनौर हरनारायण कमरा नं० 2 पूरव भाग	मतदाता की संख्या 850 से उपर होने के कारण	अमनौर हरनारायण/प्रा०नि०शे० सं०8	436 से 859	सरकारी	3	250 meter	हाँ	राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित	
------	--	--	--	---------------------------------	------------	--------	---	-----------	-----	-------------------------------------	--

पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र की सं०	पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन का कारण/औचित्य	मतदान केन्द्र का विस्तार (प्रा०नि०क्ष०सं०.....)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की सं० (क०.....से.....तक)	भवन सरकारी/अर्द्धसरकारी है अथवा नहीं	भवन में कुल कमरों की संख्या	मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिये मतदाता द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी	प्रवेश एवं निकास की अलग-अलग व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्भय होकर मतदान कर सकते हैं अथवा नहीं	अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106 क	प्रा०वि०मणिसिरिसि या	प्रा०वि०मणिसिरिसिया कमरा नं० ०२	मतदाता की संख्या 850 से ऊपर होने के कारण	मणिसिरिसिया/प्रा०नि०क्ष०सं० ०३	438 से 864	सरकारी	4	250 meter	हैं	हैं	
132 क	उ०म०वि०सलखुआ बर्दुवा टोली बाया भाग	उ०म०वि०सलखुआ बर्दुवा टोली दाया भाग	मतदाता की संख्या 850 से ऊपर होने के कारण	विशुनपुर सलखुआ/प्रा०नि०क्ष०सं० ०२	429 से 856	सरकारी	2	350 meter	हैं	हैं	
139 क	कन्या उच्च वि० अपहर	कन्या उच्च वि० अपहर बाया भाग	मतदाता की संख्या 850 से ऊपर होने के कारण	अपहर / प्रा०नि०क्ष०सं० ९	484 से 965	सरकारी	4	400 meter	हैं	हैं	

प्रमाणित किया जाता है कि मतदान केन्द्रों का चयन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में किया गया है। सभी मतदान केन्द्र पंचायत क्षेत्र में अवस्थित हैं तथा कोई मतदान केन्द्र निजी अथवा धार्मिक स्थल पर स्थापित नहीं किया गया है। चर्चित मतदान केन्द्र की स्थापना उक्त क्षेत्र में सरकारी/अर्द्धसरकारी भवन उपलब्ध नहीं रहने के कारण की गई है।

जिला पंचायत सचिव पदाधिकारी
-सह-
उप निर्वाचन पदाधिकारी (प०)
सारण, छपरा।

जिला पदाधिकारी
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (प०)
सारण, छपरा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित
उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, विहार